रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102023-249562 CG-DL-E-19102023-249562

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4403]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

No. 4403]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

का. आ. 4577(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'पंजाब डेंटल काउंसिल, मोहाली', (PAN AAAJP0976C), पंजाब सरकार द्वारा गठित एक परिषद, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) चिकित्सकों से प्राप्त पंजीकरणनवीनीकरण की प्राप्तियां/; और
- (ख) एफडीआर के रूप में जमा हुए अतिरेक पर ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'पंजाब डेंटल काउंसिल, मोहाली'-
 - (क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी:
 - (ख) कार्यकलापों और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

6651 GI/2023 (1)

- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल की जाएगी।
- यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2021-2022 तथा 2022-2023 से संगत निर्धारण वर्षों 2022-2023 तथा 2023-2024 के लिए लागु मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 90/2023 फा. सं. 300196/11/2022-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

- **S.O. 4577(E)**.—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Punjab Dental Council, Mohali' (PAN: AAAJP0976C), a Council constituted by the Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to that council, namely:
 - a) Receipt of Registration/Renewal received from Doctors
 - b) Interest income on accumulated surplus in the shape of F.D.R.s
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Punjab Dental Council, Mohali:-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023 and 2023-2024 relevant to the financial years 2021-2022 and 2022-2023.

[Notification No. 90/2023 F.No.300196/11/2022-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

